

27/4/26

उभयपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एव
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसला शमाह न. से काम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

+